न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर जिला अलवर राज.

पीठासीन अधिकारी - श्री राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)
राजस्व वाद संख्या - 50/2019
दायरा दिनांक - 25/10/2019
निर्णय दिनांक - 9-4-21

उनवान

1. विनयसिंह पुत्र श्योबक्ससिंह जाति राजपूत निवासी खोहरी तहसील बानसूर जिला अलवर राज.

-- प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार बहैसियत लैण्ड होल्डर बानसूर तहसील बानसूर जिला अलवर राज.

-- अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट.

उपस्थित अधिवक्तागण :-

1. प्रार्थी - श्री जितेन्द्र सिंह शेखावत एड.
2. अप्रार्थी - पैरोकार सरकार

-:निर्णय:-

आज यह पत्रावली हमारे समक्ष वास्ते आदेश पेश हुई। प्रकरण के सुक्ष्म तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 233 रकबा 0.43 हैक्ट., खसरा नम्बर 517 रकबा 0.23 हैक्ट., खसरा नम्बर 520 रकबा 0.12 हैक्ट., खसरा नम्बर 524 रकबा 0.08 हैक्ट., खसरा नम्बर 531 रकबा 0.09 हैक्ट., खसरा नम्बर 534 रकबा 0.29 हैक्ट., खसरा नम्बर 543 रकबा 0.14 हैक्ट., खसरा नम्बर 605 रकबा 0.03 हैक्ट., वाके मौका खोहरी प्रार्थी की खातेदारी भूमि है जो प्रार्थी को अपने पिता श्योबक्ससिंह पुत्र धनसिंह से विरासत में खाता संख्या 460 दिनांक 07.08.2012 से प्राप्त हुई है। उक्त विरासत नामान्तकरण में प्रार्थी का सही नाम दर्ज किया गया है परन्तु उक्त विरासत नामान्तकरण का अमल जमाबन्दी संवत 2068 के खाता संख्या 157 में करते समय अप्रार्थी के अधिनस्त कर्मचारियों ने लिपिकीय भूलवश प्रार्थी का नाम विनय सिंह की जगह विजय सिंह दर्ज कर दिया। प्रार्थी का प्रा[illegible] स्वीकार किया जाकर हाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2021.08.04 13:49:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर (अलवर

Scanned with CamScanner

विवादित आराजी में प्रार्थी का नाम विजय सिंह के बजाय विनय सिंह दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जावें।

प्रकरण दर्ज पंजिका किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। पैरोकार सरकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि मुताबिक राजस्व रिकार्ड प्रार्थी का नाम विजय सिंह के बजाय विनय सिंह दर्ज करने के आदेश दिये जाते है तो उन्हे कोई आपत्ति नही है।

बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का ध्यानपुर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी के पिता के विरासत नामान्तकरण संख्या 460 दिनांक 07.08.2012 में प्रार्थी का नाम विजय सिंह ही दर्ज है तथा जिसका अमल जमाबन्दी संवत 2068 में सही किया गया है परन्तु प्रार्थी के अन्य दस्तावेज यथा आधार कार्ड, फोटो पहचान पत्र, राशन कार्ड में प्रार्थी का नाम विनय सिंह दर्ज है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट आंशिक रूप से स्वीकार कर हाल आराजी खसरा नम्बर 233 रकबा 0.43 हैक्ट., खसरा नम्बर 517 रकबा 0.23 हैक्ट., खसरा नम्बर 520 रकबा 0.12 हैक्ट., खसरा नम्बर 524 रकबा 0.08 हैक्ट., खसरा नम्बर 531 रकबा 0.09 हैक्ट., खसरा नम्बर 534 रकबा 0.29 हैक्ट., खसरा नम्बर 543 रकबा 0.14 हैक्ट., खसरा नम्बर 605 रकबा 0.03 हैक्ट., वाके मौका खोहरी तहसील बानसूर में दर्ज प्रार्थी का नाम विजय सिंह के बजाय विजय सिंह उर्फ विनय सिंह पुत्र श्योबक्स सिंह दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। शेष इन्द्राजात यथावत रहेंगे। तहसीलदार बानसूर को अहकाम जारी है।

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर जिला अलवर

आज दिनांक 9.4.21 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2021.08.04 13:49:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर जिला अलवर

Scanned with CamScanner